8

**“जीवन प्रकाश “ मण्डल कार्यालय ,जयपुर रोड , बीकानेर**

**निविदा से संबन्धित नियम व शर्तें**

1. निविदाएँ तय समय व दिनांक पर कार्यालय मे पहुँच जानी चाहिए । दरें केवल संलग्न प्रपत्र मे ही भरें । निविदाकर्ता द्वारा आइटम की सूची / make/brand इत्यादि मे किसी प्रकार का परिवर्तन /संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा ।
2. निविदा की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा दरों की स्वीकृति से एक वर्ष तक मान्य होगी । इस अवधि मे आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने का आदेश किया जाता रहेगा । निविदा अवधि के दौरान किसी भी आइटम की मात्रा को 25% तक बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है ।
3. निविदा मे वर्णित सामान की आपूर्ति “भारतीय जीवन बीमा निगम , मण्डल कार्यालय ,जयपुर रोड, बीकानेर (राज .) - 334003 पर पहुंचानी होगी , इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा ।
4. निविदा आंवंटित होने पर निविदाकर्ता सामान की आपूर्ति हेतु बाध्य होंगे । सक्षम अधिकारी के पास किसी भी निविदा को निरस्त करने , निविदा के किसी सामान को निरस्त करने, सामान की संख्या बढ़ाने /घटाने ,सामान की गुणवत्ता के अनुसार न्यूनतम quotation आने पर भी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
5. **दरें without GST देवें** । TAX मे कटौती भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी ।
6. **आदेश देने की तिथि के 30 दिनों के अंदर सामान की आपूर्ति करनी आवश्यक होगी** । 31वें दिन से 45 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 3% , 46वें दिन से 60 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 4% , 61वें दिन से 70 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 5%, (सम्पूर्ण बिल राशि का) पेनल्टी के रूप मे काटा जाएगा ।
7. सामान की आपूर्ति 70 दिन तक प्राप्त नहीं होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम निविदाकर्ता को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फ़र्म से वसूली जाएगी ।
8. Damaged/ unusable आपूर्तित सामान को निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर वापिस मंगवाना होगा ।
9. सामान की आपूर्ति नहीं करने अथवा तय शुदा मानको के अनुसार आपूर्ति नहीं करने पर सक्षम अधिकारी के पास फ़र्म को blacklist घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
10. किसी भी वाद –विवाद की स्थिति मे न्यायक्षेत्र बीकानेर होगा ।
11. **निविदाकर्ता को EMD राशि के रूप मे 8000/-** ( 2% of estimated contract value) through demand draft/bank guarantee by scheduled bank in favour of LIC OF INDIA ,**निविदा के साथ ही भेजने होंगे । MSME निविदाकर्ताओं को EMD राशि भेजने की आवश्यकता नहीं है** , परंतु इसके लिए निविदाकर्ता को MSME Certificate निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा । Unsuccessful bidders को यह राशि निविदा award होने के 30 दिनों के अंदर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।
12. **Successful bidder को Performance Security के रूप मे contract value की 5% राशि** demand draft/bank guarantee by scheduled bank in favour of LIC OF INDIA के द्वारा **जमा करवानी होगी** । यह राशि निविदा अवधि समाप्त होने के बाद लौटाई जाएगी एवं इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
13. **निविदाकर्ता को sample paper निविदा के साथ ही भेजना होगा । Sample Paper तय मानक / गुणवत्ता के अनुसार नहीं होने की स्थिति मे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।**
14. **बंद लिफाफे मे निविदा कार्यालय मे पहुँचने की अंतिम तिथि 14.11.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक है एवं दिनांक 14.11.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदाएँ खोली जाएंगी जिसमे आपकी उपस्थिती अपेक्षित है** । यदि आपकी फ़र्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतः समझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट हैं ।

 **15 THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015**

1. **In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify aII such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI .**
2. **In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as “Investigating Officer”, to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India**